



दूरभाष 0522-2288656

फैक्स 0522-2288655

E-Mail-cehydelpcl@gmail.com

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।**

संख्या:-

-अ-7/मु०अ०(ज०वि०)/अधि० आ० आवंटन/2017

दि०:- 12/5/2017

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधोनामित अधिकारीगण के नाम विभागीय अधिकारी कालोनी में रिक्त उपलब्ध आवास का स्तम्भ-4 एवं 5 में उल्लिखित विवरण के अनुसार एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा तैनाती स्थल	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1	आलोक रंजन सिंह, मुख्य अभियन्ता, मध्याचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोखले मार्ग लखनऊ(गुप-प्रथम की सूची में वरिष्ठता क्रमांक-12)	बाहर	चन्द्रलोक 5/57	रिक्त है।
2	अनिमेष घोष, अधि०अभि०, आर०एण्डएम० इकाई, उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ(गुप-द्वितीय की सूची में वरिष्ठता क्रमांक-26)	बाहर	पीएनआर 4/25	रिक्त है।
3	संदीप कुमार यादव, सहा०अभि०, ए०बी०टी०, कन्ट्रोल रूम(वाणिज्य इकाई) शक्ति भवन, लखनऊ (गुप-द्वितीय की सूची में वरिष्ठता क्रमांक-67)	बाहर	चन्द्रलोक ट्रांजिट-02	रिक्त है।

आवंटित आवास में सिविल कार्यों की कमी होने की स्थिति में आवंटीगण जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार करें एवं नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में आवास का अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अधिकारियों को आवास अधिग्रहण तिथि से मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा तथा विद्युत मद में नियमानुसार कटौती भी प्रारम्भ कर दी जाय।

**मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)
एवं अध्यक्ष आवास आवंटन समिति**

संख्या :- 532 -अ-7/तददिनांक: / / 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता(जानपद), पारेषण-द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अभिधारण लेने वाले अधिकारीगणों की सूची इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये।
- सम्बन्धित आवंटीगणों को इस आशय से प्रेषित कि वह नियमित आवंटित आवास का एक माह के भीतर तथा शिपिंग पर आवंटित आवास का अभिधारण एक सप्ताह के भीतर करेंगे अन्यथा की स्थिति में आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा, साथ ही आवास किराया भत्ता उनसे तब तक वसूल किया जाता रहेगा जब तक इस आवास का आवंटन किसी अन्य सुपात्र को नहीं कर दिया जाता। अधिग्रहण न लेने की स्थिति में नियमानुसार उन्हें प्रथम बार एक वर्ष के लिए वारित भी कर दिया जायेगा।
- अधिशासी अभियन्ता(वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ की वह सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित पदधारी।
- मुख्य अभियन्ता, (जल-विद्युत) के शिविर सहायक/कटफाइल।

(एम०के० जाखनवाल)

संयोजक एवं सदस्य

अधिकारी आवास आवंटन समिति
कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)